कौटिल्य एकेडमी
www.kautilyaacademy.com IAS • IPS • MPPSC • CJ-II

CURRENT AFFAIR

12th JULY 2023

1. क्लस्टर युद्ध सामग्री
2. ईडी निदेशक का कार्यकाल तीसरी बार बढ़ाना अवैध: सुप्रीम कोर्ट
3. लंबानी कढ़ाई शिल्प
4. वैश्विक उष्णकटिबंधीय प्राथमिक वन क्षेत्र
5. तंजानिया (राजधानी: डोडोमा)

क्लस्टर युद्ध सामग्री

- हाल ही में संयुक्त राज्य अमेरिका ने पुष्टि की है, कि वह नए सैन्य सहायता पैकेज के हिस्से के रूप में यूक्रेन को क्लस्टर युद्ध सामग्री की आपूर्ति करेगा।
- **CNN** की रिपोर्ट के मुताबिक, अमेरिका का बाइडेन प्रशासन रूस के खिलाफ युद्ध लड़ने के लिए विवादित हथियारों की सप्लाई यूक्रेन को करेगा।
- **अमेरिका** और **यूक्रेन** ने क्लस्टर युद्ध सामग्री पर कन्वेंशन की पुष्टि नहीं की है। क्लस्टर हथियारों को यूके, फ्रांस और जर्मनी सहित 100 से अधिक देशों ने गैरकानूनी घोषित कर दिया है।
- **क्लस्टर युद्ध सामग्री** विमान से गिराए जाने वाले या ज़मीन से छोड़े जाने वाले विस्फोटक हथियार का एक रूप है जो एक विस्तृत क्षेत्र में छोटे सबमिशन, जिन्हें आमतौर पर बम के रूप में जाना जाता है, के अनुप्रयोग से है।
- वे मनुष्यों को घायल करने या मारने और रनवे, रेलवे या **पावर ट्रांसमिशन लाइनों** तथा अन्य लक्ष्यों को नष्ट करने के लिये डिज़ाइन किये गए हैं।
- क्लस्टर युद्ध सामग्री अंतर्राष्ट्रीय मानवीय कानून का उल्लंघन करते हुए नागरिकों और वस्तुओं को अत्यधिक हानि पहुँचा सकती है।

- उनकी विफलता दर उच्च है, वे अपने पीछे बिना विस्फोट वाले आयुध छोड़ जाते हैं जो लगातार खतरा उत्पन्न करते हैं।
- इसके अतिरिक्त वे लंबे समय तक विशाल क्षेत्रों को **प्रदूषित** करते हैं, जिससे वे मानव उपयोग के लिये अनुपयुक्त हो जाते हैं, साथ ही ये प्रभावित देशों में स्वास्थ्य देखभाल और अर्थव्यवस्था पर बोझ बढ़ाते है।
- **वर्ष 2001** में **अफगानिस्तान युद्ध** के दौरान अमेरिका ने क्लस्टर बमों को महत्त्वपूर्ण माना था।
- अमेरिका ने **अंतिम बार वर्ष 2003 में इराक के साथ युद्ध** के दौरान क्लस्टर बमों का प्रयोग किया था।
- **सीरियाई गृहयुद्ध** में रूस द्वारा भेजी गई सरकारी सेना प्रायः क्लस्टर युद्ध सामग्री प्रयोग करती थी।
- इज़रायल ने दक्षिण लेबनान के नागरिक क्षेत्रों में क्लस्टर बमों का उपयोग किया, विशेष रूप से **वर्ष 2006 में हिज़्बुल्लाह के साथ युद्ध** के दौरान।
- यमन में सऊदी नेतृत्व वाले गठबंधन को हौथी विद्रोहियों के साथ अपने संघर्ष में क्लस्टर बमों का उपयोग करने के लिये आलोचना का सामना करना पड़ा।
- क्लस्टर युद्ध सामग्री पर अभिसमय नागरिक आबादी पर पड़ने वाले दीर्घकालिक प्रभावों के कारण इन हथियारों के उपयोग, उत्पादन, हस्तांतरण और भंडारण को गैर-कानूनी घोषित करता है।

- इसे **30 मई, 2008** को **डबलिन** में 107 देशों द्वारा अपनाया गया और 3 दिसंबर, 2008 को ओस्लो में इस पर हस्ताक्षर किये गए।
- **1 अगस्त, 2010** से लागू होने के कारण यह अभिसमय एक बाध्यकारी अंतर्राष्ट्रीय कानून बन गया।
- अभी तक **कुल 123 देश** इस अभिसमय में शामिल हो चुके हैं जिसमें **111 सदस्य देश** और **12 हस्ताक्षरकर्त्ता** हैं।
- इस अभिसमय पर **भारत, संयुक्त राज्य अमेरिका, रूस, यूक्रेन, पाकिस्तान** और **इज़रायल** सहित कई देशों ने हस्ताक्षर नहीं किये हैं।

CLUSTER BOMBS

Nearly 100 countries are signing a treaty to ban cluster bombs, while the leading producers of the bombs, including the US, Russia, China and Israel, remain outside the pact.

How cluster bombs work

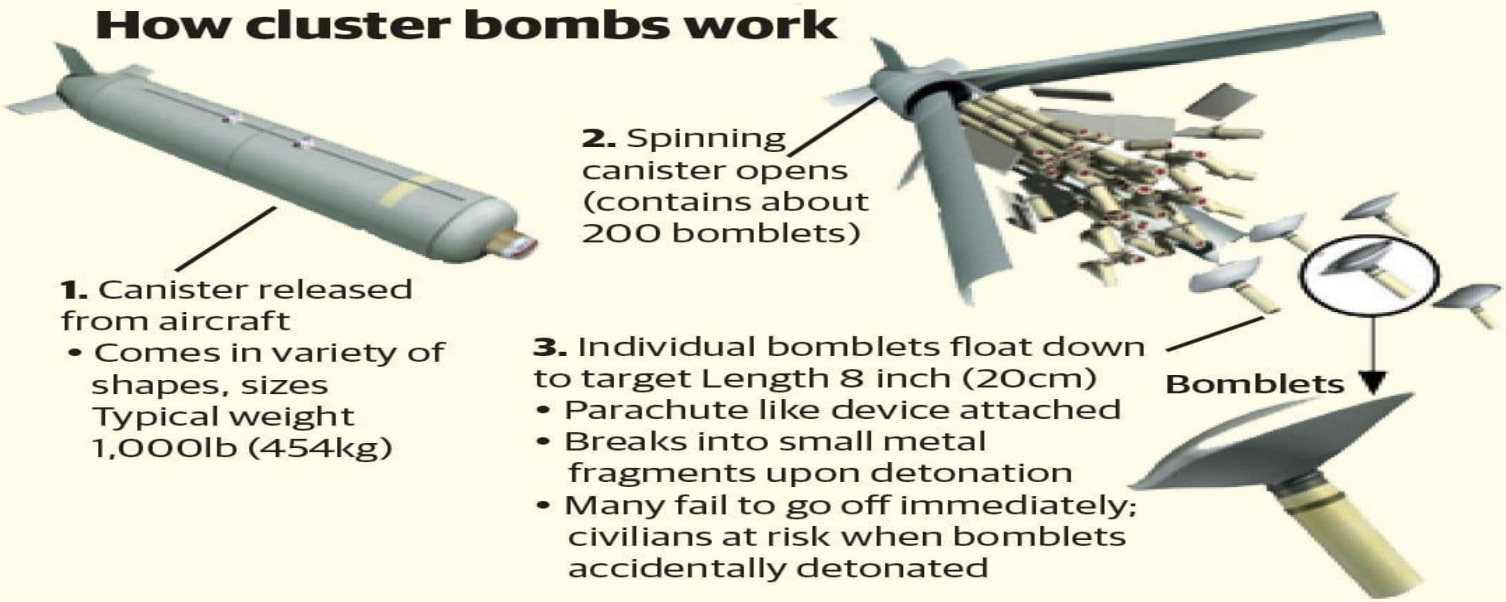

ईडी निदेशक का कार्यकाल तीसरी बार बढ़ाना अवैध: सुप्रीम कोर्ट

- सुप्रीम कोर्ट ने हाल ही में केंद्र सरकार को करारा झटका दिया। सुप्रीम कोर्ट ने ईडी प्रमुख **संजय मिश्रा** को तीसरा एक्सटेंशन देने का आदेश पलट दिया। कोर्ट ने फैसला सुनाया कि ईडी प्रमुख का तीसरी बार कार्यकाल बढ़ाना गैरकानूनी है।
- सुप्रीम कोर्ट ने फैसला सुनाया कि ईडी निदेशक का तीसरा सेवा विस्तार अवैध और कानून की दृष्टि से शून्य है। हालाँकि, सरकार की जीत में, सुप्रीम कोर्ट ने फैसला सुनाया कि सेवा विस्तार को नियत्रित करने वाले कानून में संशोधन सही था।
- मामले में सरकार का तर्क है कि **ED डायरेक्टर** की जगह लेने के लिए अभी कोई दूसरा अफसर तलाश नहीं किया जा सका है।
- वर्तमान ED डायरेक्टर अभी मनी लॉन्ड्रिंग के साथ-साथ FATF जैसे कई मामलों की निगरानी रख रहे हैं। ऐसे में नई नियुक्ति के लिए हमें थोड़ा और समय चाहिए।
- केंद्र सरकार ने नवंबर 2018 में ED डायरेक्टर को **दो साल का सेवा** विस्तार दिया था।
- इसके बाद उन्हें रिटायर होना था, लेकिन सरकार ने उन्हें एक साल का सेवा विस्तार दे दिया।

- केंद्र सरकार नवंबर 2021 में **सेंट्रल विजिलेंस कमीशन एक्ट** में बदलाव करके एक अध्यादेश ले आई।
- इस संशोधन में प्रावधान था कि जांच एजेंसी **ED** और **CBI** जैसी एजेंसियों के डायरेक्टर को पांच साल तक का एक्सटेंशन दिया जा सकता है।
- प्रवर्तन निदेशालय या ईडी एक बहुअनुशासनिक संगठन है जिसका कार्य आर्थिक अपराधों और विदेशी मुद्रा कानूनों के उल्लंघन की जांच करना है।
- इसकी स्थापना 01 मई, 1956 को हुई थी, जब **विदेशी मुद्रा विनियमन अधिनियम, 1947 (फेरा,1947)** के अंतर्गत विनिमय नियंत्रण विधियों के उल्लंघन को रोकने के लिए आर्थिक कार्य विभाग के नियंत्रण में एक प्रवर्तन इकाई का गठन का गया था।
- वर्ष 1960 में इस निदेशालय का प्रशासनिक नियंत्रण, आर्थिक कार्य मंत्रालय से राजस्व विभाग में हस्तांतरित कर दिया गया था। वर्तमान में, निदेशालय राजस्व विभाग, वित्त मंत्रालय, भारत सरकार के प्रशासनिक नियंत्रण में है।
- आर्थिक उदारीकरण की प्रक्रिया के चलते फेरा,1973,जो कि एक नियामक कानून था, उसे निरसित कर दिया गया और इसके स्थान पर, 01जून, 2000 से एक नई विधि **विदेशी मुद्रा अधिनियम,1999 फेमा** लागू की गई।
- अंतर्राष्ट्रीय धन शोधन व्यवस्था के अनुरूप, एक नया कानून धन शोधन निवारण अधिनियम,2002 (पीएमएलए) बना और प्रवर्तन निदेशालय को दिनांक 01.07.2005 से पीएमएलए को प्रवर्तित करने का दायित्व सौंपा गया।

- हाल ही में,विदेशों में शरण लेने वाले आर्थिक अपराधियों से संबंधित मामलों की संख्या में वृद्धि के कारण, सरकार ने भगोड़ा आर्थिक अपराधी अधिनियम, 2018 (एफइओए) पारित किया है और प्रवर्तन निदेशालय को 21 अप्रैल, 2018 से इसे लागू करने का दायित्व सौंपा गया है।
- **धन शोधन निवारण अधिनियम, 2002 (पीएमएलए):** यह एक आपराधिक कानून है जिसे धन शोधन को रोकने के लिए और धन शोधन से प्राप्त या इसमें शामिल संपत्ति की जब्ती का प्रावधान करने के लिए तथा उससे जुड़े या उसके आनुषंगिक मामलों के लिए अधिनियमित किया गया है।
- **विदेशी मुद्रा प्रबंधन अधिनियम,1999 (फेमा):** यह एक नागरिक कानून है जो विदेशी व्यापार और भुगतान की सुविधा से संबंधित कानूनों को समेकित और संशोधित करने और भारत में विदेशी मुद्रा बाजार के व्यवस्थित विकास और रखरखाव को बढ़ावा देने के लिए अधिनियमित किया गया है।
- **भगोड़ा आर्थिक अपराधी अधिनियम,2018 (एफ.ई.ओ.ए):** यह कानून आर्थिक अपराधियों को भारतीय न्यायालयों के अधिकार क्षेत्र से बाहर भागकर भारतीय कानून की प्रक्रिया से बचने से रोकने के लिए बनाया गया था।

➔ **विदेशी मुद्रा विनियमन अधिनियम,1973 (फेरा):** निरसित एफइआरए के तहत मुख्य कार्य उक्त अधिनियम के कथित उल्लंघनों के लिए उक्त अधिनियम के तहत 31.05.2002 तक जारी कारण बताओ नोटिस का न्यायनिर्णयन करना है, जिसके आधार पर संबंधित अदालतों में जुर्माना लगाया जा सकता है और एफइआरए के तहत शुरू किए गए मुकदमों को आगे बढ़ाया जा सकता है।

➔ **सीओएफइपीओएसए के तहत प्रायोजक एजेंसी:** विदेशी मुद्रा संरक्षण और तस्करी गतिविधियों की रोकथाम अधिनियम,1974 (सीओएफइपीओएसए) के तहत,इस निदेशालय को एफइएमए के उल्लंघनों के संबंध में निवारक निरोध के मामलों को प्रायोजित करने का अधिकार है।

लंबानी कढ़ाई शिल्प

- भारत के **G20 प्रेसीडेंसी** के तहत संस्कृति कार्य समूह की बैठक में अनोखा रिकॉर्ड बना। दरअसल, **हम्पी** में G20 के तीसरे संस्कृति कार्य समूह की बैठक के तहत लम्बानी कढ़ाई वस्तुओं का सबसे बड़ा प्रदर्शन किया गया, जिसने गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाया।
- हम्पी में आयोजित **G20 संस्कृति कार्य** समूह की बैठक में संसदीय कार्य मंत्री प्रह्लाद जोशी ने सोमवार को प्रदर्शनी का उद्घाटन किया।
- खजुराहो और भुवनेश्वर में **'G20 संस्कृति कार्य समूह'** की पहली दो बैठकों के बाद तीसरी बैठक 9 से 12 जुलाई 2023 तक हम्पी में हुई।
- G20 के प्रतिनिधियों को विजय विट्ठल मंदिर, रॉयल एनक्लोजर और यूनेस्को विश्व धरोहर स्थल, हम्पी समूह के स्मारकों के येदुरु बसवन्ना परिसर जैसे विरासत स्थलों का भ्रमण कराया जा रहा है।
- इसी क्रम में यह प्रदर्शनी संस्कृति मंत्रालय के 'संस्कृति कार्य समूह' द्वारा आयोजित किया गया।
- इसका शीर्षक, **"एकता के धागे'** (Threads of Unity) है। प्रदर्शनी का विषय है, 'संस्कृति सभी को जोड़ती है।'
- **संदुर कुशल कला केन्द्र (SKKK)** से जुड़ी 450 से अधिक लंबानी महिला कारीगरों और सांस्कृतिक कलाकारों ने 1755 पैच वर्क वाली लंबानी कढ़ाई का उपयोग करके इन वस्तुओं को तैयार किया था।

- **गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड** का यह प्रयास प्रधानमंत्री के मिशन **'लाइफ'** (पर्यावरण के लिए जीवन शैली) अभियान और 'G20 संस्कृति कार्य समूह' की पहल पर्यावरण के प्रति जागरूक जीवनशैली और स्थिरता की दिशा में एक ठोस कार्य **'जीवन के लिए संस्कृति'** से जुड़ा है।
- हमारी साझा विरासत का जश्न मनाते हुए और टिकाऊ प्रथाओं को बढ़ावा देकर, यह प्रदर्शन **'वसुधैव कुटुंबकम्'** के सार को समाहित करते हुए, संस्कृतियों के बीच एकता, विविधता, परस्पर जुड़ाव और सामंजस्यपूर्ण सह-अस्तित्व की शक्ति के प्रमाण के रूप में कार्य करता है।
- लंबानी, कर्नाटक में रहने वाली एक खानाबदोश समुदाय द्वारा बनाई जाने वाली कढ़ाई शिल्प है। इसे जीआई-टैग भी प्राप्त है।
- लंबानी कढ़ाई रंगीन धागों, कांच या मिरर वर्क और सिलाई पैटर्न की एक समृद्ध शृंखला द्वारा चित्रित कपड़ा अलंकरण का एक जीवंत और जटिल रूप है।
- इसमें फेंके गए कपड़ों के छोटे-छोटे टुकड़ों को कुशलतापूर्वक जोड़कर एक सुंदर कपडा बनाया जाता है।
- यह समृद्ध कढ़ाई परंपरा मुख्य रूप से आजीविका के स्रोत के रूप में लंबानी समुदाय की कुशल महिलाओं ने जीवित रखा है।
- यह कर्नाटक के कई गांवों जैसे **संदुर, केरी टांडा, मरियम्मनहल्ली, कादिरामपुर, सीताराम टांडा, बीजापुर** और **कमलापुर** में प्रचलित है।

- **पैच वर्किंग** का यह टिकाऊ अभ्यास भारत और दुनिया भर की कई कपड़ा परंपराओं में पाया जाता है।
- लांबानी की कढ़ाई परंपराएं तकनीक और सौंदर्यशास्त्र के रूप में पूर्वी यूरोप, पश्चिम और मध्य एशिया के कपड़ा परंपराओं के साथ साझा की जाती हैं।
- यह ऐतिहासिक रूप से ऐसे क्षेत्रों में खानाबदोश समुदायों के आंदोलन की ओर इशारा करती है, जो एक साझा कलात्मक संस्कृति का निर्माण करते हैं।
- संस्कृतियों के माध्यम से शिल्प **'संस्कृति सबको जोड़ती है'** अभियान के लिए एक आदर्श प्रतीक बनाता है। इस कला के माध्यम से, हम अपनी साझा विरासत का जश्न मनाते हैं और विविध समुदायों के बीच संवाद और समझ को बढ़ावा देते हैं।
- **संदूर कुशल कला केंद्र (SKKK)** के बारे में - एक सोसायटी के रूप में 1988 में पंजीकृत **'संदुर कुशल कला केन्द्र'** का उद्देश्य पारंपरिक शिल्प को पुनर्जीवित करना और शिल्पकारों की आजीविका, कौशल और उनके उत्पादों को बढ़ावा देकर एक स्थिर आय सुनिश्चित करना है।

Ministry of Culture
Government of India

3rd Culture Working Group Meeting

09-12 July 2023 - Hampi, Karnataka

www.kautilyaacademy.com | CONTACT: 94250-68121, 91110-10991

वैश्विक उष्णकटिबंधीय प्राथमिक वन क्षेत्र

- **WRI के ग्लोबल फॉरेस्ट वॉच** के एक नए अध्ययन के अनुसार, उष्णकटिबंधीय क्षेत्रों में 4.1 मिलियन हेक्टेयर वन क्षेत्र नष्ट हो गया है। इसके परिणामस्वरूप 2.7 बिलियन टन कार्बन डाइऑक्साइड का उत्सर्जन हुआ है।
- वर्ष 2030 तक निर्धारित लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए हर साल वैश्विक स्तर पर होने वाली वनों की कटाई में कम से कम 10 प्रतिशत तक की कमी लाने की आवश्यकता है। इन लक्ष्यों के तहत वर्ष 2030 तक वनों की कटाई को समाप्त करना तथा 350 मिलियन हेक्टेयर वन क्षेत्र को बहाल करना है।
- हालांकि, 2022 में प्राथमिक, द्वितीयक और रोपित वनों सहित कुल वैश्विक वृक्ष आवरण हानि में 10 प्रतिशत की गिरावट दर्ज की गई थी।
- **प्राथमिक वन:** ये ऐसे परिपक्व एवं प्राकृतिक वन हैं, जिनमें हालिया कुछ वर्षों से मानव हस्तक्षेप नहीं हुआ है ये अन्य वनों की तुलना में अधिक कार्बन संग्रहित करते हैं और जैव विविधता के समृद्ध स्रोत हैं। इनकी क्षति की भरपाई नहीं हो सकती है।
- **द्वितीयक वन:** ये वन प्राथमिक वनों की कटाई के बाद उसके स्थान पर प्राकृतिक रूप से विकसित होते हैं। ये प्राकृतिक वन की तुलना में अधिक सजातीय होते हैं। इनमें आमतौर पर प्रजातियों की सीमित संख्या पाई जाती है यहां तक कि पुराने हो चुके वनों में भी।

- **रोपित वन:** ये मुख्य रूप से पौधे या बीज बोकर स्थापित किए गए वन क्षेत्र होते हैं। इनमें पाए जाने वाले वृक्ष आमतौर पर एक ही प्रजाति के होते हैं, भले ही वे देशज हों या विदेशी। उनका जीवन काल भी एक जैसा होता है।
- भारत में 2021 और 2022 के बीच 43.9 हजार हेक्टेयर आर्द्र प्राथमिक वन नष्ट हो गए हैं।
- **WRI :-** यह 1997 में स्थापित एक वैश्विक गैर-लाभकारी संगठन है।
- यह लोगों की अनिवार्य जरूरतों को पूरा करने के लिए विश्व स्तर पर और फोकस में रहे कुछ देशों में काम करता है ।
- प्रकृति की रक्षा और पुनर्बहाली करना तथा जलवायु की स्थिरता को बनाए रखना और समुदायों में लचीलेपन का निर्माण करना।
- **WRI** ने फॉरेस्ट फ्रंटियर्स इनिशिएटिव के हिस्से के रूप में 1997 में ग्लोबल फॉरेस्ट वॉच की स्थापना की थी।
- इसकी शुरुआत वनों की स्थिति के बारे में अपडेटेड रिपोर्ट तैयार करने वाले गैर-सरकारी संगठनों के एक नेटवर्क के रूप में हुई थी। वर्ष 2019 तक यह 82 देशों (भारत सहित) से संबंधित डेटा प्रदान करता था।

विश्व के प्रमुख घास के मैदान (Grasslands of the World)

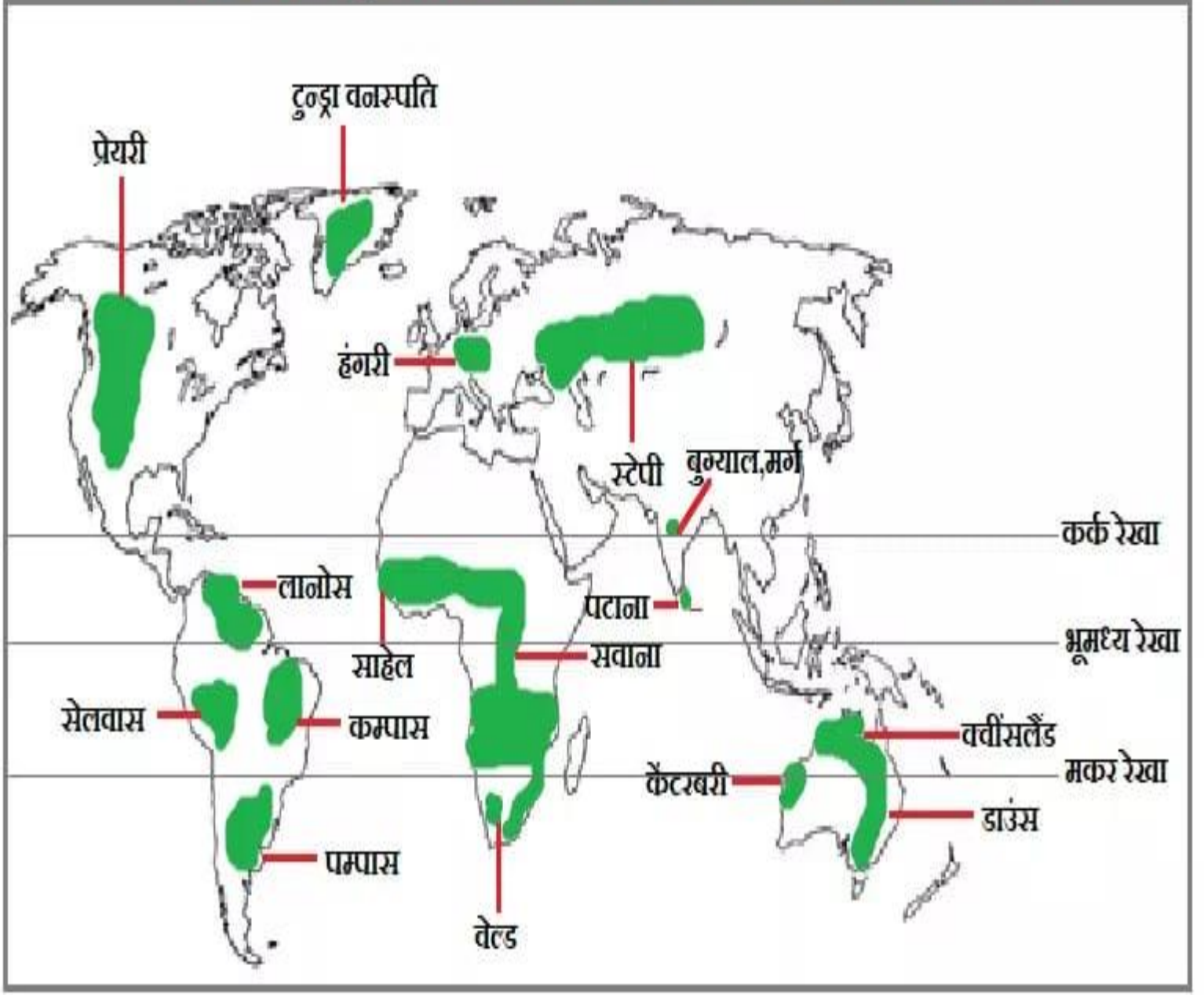

तंजानिया (राजधानी: डोडोमा)

- **विदेश मंत्री एस जयशंकर** ने हाल ही में कहा कि भारत और तंजानिया ने स्थानीय मुद्राओं में व्यापारिक सौदों का निपटान शुरू कर दिया है जिससे दोनों देशों के बीच वाणिज्यिक गतिविधियों को बढ़ावा मिलेगा।
- **तंजानिया** के दौरे पर पहुंचे जयशंकर ने यहां उद्योग जगत के प्रतिनिधियों को संबोधित करते हुए कहा कि भारत और इस अफ्रीकी देश के बीच द्विपक्षीय व्यापार बहुत तेजी से बढ़ा है और वित्त वर्ष 2022-23 में यह **6.4 अरब डॉलर** पर पहुंच गया था।
- रुपये में विदेशी व्यापार को प्रोत्साहित करने की कोशिश में लगे भारतीय रिजर्व बैंक की स्वीकृति मिलने के बाद तंजानिया में मौजूद बैंक ऑफ इंडिया, बैंक ऑफ बड़ौदा और केनरा बैंक ने स्थानीय मुद्राओं में लेनदेन शुरू कर दिया है।
- विदेश मंत्री ने भारत और अफ्रीकी देशों के बीच आर्थिक संबंधों में आई मजबूती का जिक्र करते हुए कहा कि भारत का अफ्रीका के साथ कारोबार 98 अरब डॉलर का हो चुका है। इसके अलावा **भारत ने अफ्रीका में 75 अरब डॉलर का निवेश** भी किया हुआ है।
- **अवस्थिति:** यह देश पूर्वी अफ्रीका में और भूमध्य रेखा के ठीक दक्षिण में स्थित है।

- यह उत्तर में युगांडा, विक्टोरिया झील और केन्या से तथा पूर्व में हिंद महासागर से घिरा हुआ है।
- इसके पश्चिम में टांगान्यिका झील, बुरुंडी और रवांडा स्थित हैं।

➔ **भौगोलिक विशेषताएं**

- पूर्वी अफ्रीकी भ्रंश प्रणाली (East African Rift System) मुख्य भूमि तंजानिया से होकर उत्तर-दक्षिण दिशा में दो शाखाओं में विस्तारित है।
- अफ्रीका का सबसे ऊँचा पर्वत, किलिमंजारो इसके उत्तर-पूर्व में अवस्थित है।
- **नदियां:** रुवुमा, रूफिजी, वामी और पंगानी। ये नदियां हिंद महासागर में मिल जाती हैं।

ETHIOPIA
CENTRAL AFRICAN REPUBLIC
UGANDA
Dem. Rep of The Congo
CONGO
KENYA
RWANDA
BURUNDI
TANZANIA
INDIAN OCEAN
COMOROS
MAYOTTE
ANGOLA
ZAMBIA
MALAWI
MOZAMBIQUE
MADAGASCAR
ZIMBABWE
NAMIBIA
BOTSWANA